ज्ञापांक–4243/Tech./2022

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–11वीं नवम्बर 2022

सेवा में,

Mr Nishit Behera,
PADMABATI DEVI MULTI SPECIALTY HOSPITAL PRIVATE LIMITED,
Bangalow No. 132, Clover Hills,
NIMB Road, Kondhwa, Pune, Maharashtra - 411048

विषयः– **मौजा–Hatiadih & Bhatia, प्लाट नं0–354(P), खाता नं0–81, 60, वार्ड नं0–N/A, थाना–सरायकेला (60 & 127), जिला–सरायकेला–खरसावॉ प्रस्तावित अस्पताल भवन निर्माण हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित प्रस्तावित अस्पताल भवन के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, आदित्यपुर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–89 दिनांक–03.04.2022 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त अस्पताल भवन निर्माण हेतु इस कार्यालय का ज्ञापांक–1631 दिनांक–10.04.2022 के द्वारा निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये गये थे। दिये गये अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते है : –

1. प्रस्तावित अस्पताल परिसर के पीछे भाग में कम से कम 2,00,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस–बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ सभी स्टेयरकेश लॉबियों में 150 MM डाया का एक–एक वेट राईजर का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. अस्पताल परिसर के चारों तरफ 200 MM डाया वाला रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक 40 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
6. अस्पताल भवन के सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन किया जाय।
7. अस्पताल भवन के सभी तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्मिंग सिस्टम से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
8. ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि स्प्रिंकलर के जलापूर्ति हेतु किये जानेवाले पाईपिंग व्यवस्था का संबंध अंडरग्राउण्ड एवं टेरेस टैंक दोनों से रहे।
9. पूरे अस्पताल भवन में एड्रेसेबल टाईप डिटेक्शन एण्ड अलार्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि इसकी आवाज भवन के प्रत्येक भाग में स्पष्ट रूप से सुनाई देने में सक्षम हो।
10. उपर्युक्त अस्पताल भवन के सभी लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
11. अग्निशमन कार्य हेतु प्रत्येक 100 हाईड्रैण्ट अथवा उसके भाग पर एक की दर से परन्तु कम से कम दो अदद 2850 Lpm क्षमता का दो फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।

12. 900ली0 ⁄ मि0 क्षमता का टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
13. 180ली0 ⁄ मि0 क्षमता कम से कम दो अदद जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
14. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
15. राईजर एवं स्प्रिंकलर के लिए अलग–अलग पाईपिंग सिस्टम का व्यवस्था की जाय
16. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
17. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
18. स्टेयरकेश लॉबियों के प्रत्येक तलों में कम से कम दो घंटा अग्निरोधी स्वचालित फायर चेक डोर लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
19. दो बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 1.25 मीटर, 3-5 बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई 1.50 मीटर एवं 5 से अधिक बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 2 मीटर अवश्य रखी जायेगी।
20. 100 वर्ग मीटर से अधिक एरिया वाले पेशेंट बेड रूम में कम से कम 2 दरवाजे दिये जाय।
21. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिसटेंस 45 मीटर से अधित नहीं हो।
22. भवन के सभी Exit दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
23. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
24. भवन में प्रति 400 वर्गफीट के लिये कम से कम दो तथा प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट के लिये चार की दर से 09 लीटर क्षमता का वाटर सी0ओ0टू0 एवं ABC 06 Kg का अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
25. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड एवं सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
26. ओ0टी0 रूम ⁄ लैब में 4.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद CO_2 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
27. प्रत्येक तलों के लिए अलग–अलग ए0सी0 डक्ट की व्यवस्था की जाय तथा डक्ट में मानक के अनुरूप स्वचालित फायर डैम्पर का संस्थापन कराया जाय।
28. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
29. बिजली के मेन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रिकल उपकरणों एवं पैनल के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
30. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबियों में हो।
31. भवन की उँचाई एवं रैम्प NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
32. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
33. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
34. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।

35. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
36. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.3 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2022.11.11 14:39:56 +05'30'

(जगजीवन राम),
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।